

प्रकरण सं० : 133/2018
अनवान :

कनिका पुत्री नरेन्द्र कुमार उम्र 14 माह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आबाद वार्ड सं० 8 सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला गंगानगर बजरिये नाबालिग वली कुदरती माता गगनवाला पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आबाद वार्ड सं० 8 सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला गंगानगर।

:- वादीया

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र चीमा उर्फ चीमनाराम जाति जाट निवासी मोठसरा हाल आबाद वार्ड सं० 23 रावतसर रोड़ सैठी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
2. नरेन्द्र पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मोठसरा हाल आबाद वार्ड सं० 23 रावतसर रोड़ सैठी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा

88, 89, 92ए, 188 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादी

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : प्रतिवादी सं० 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 23.09.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 114 के खसरा सं० 187 की 1.7700 है०, ख०सं० 188 की 1.5180 है०, ख०सं० 191 की 2.3520 है०, ख०सं० 201 की 0.9860 है०, ख०सं० 202 की 0.9610 है०, ख०सं० 204 की 0.5820 है०, ख०सं० 210 की 3.1870 है०, ख०सं० 310 की 1.9980 है० की कुल 13.3540 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीया की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीया ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीया के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 व 2 जरिये वकील हाजिर आये व जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया।

वादीया की ओर से पत्रावली में जमाबंदी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2073-76, जमाबंदी खतौनी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2049 पेश की गई।



Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कनिका बनाम धर्मपाल आदि

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वाद के तथ्यों को दीहसते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीया की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिरसा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीया एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीया डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने दावा में वर्णित वादभूमि में वादीया का हिरसा होना स्वीकार किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने ग्राम मोठसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीया ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी पेश की है। वाद भूमि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 114 के खसरा सं० 187 की 1.7700 है०, ख०सं० 188 की 1.5180 है०, ख०सं० 191 की 2.3520 है०, ख०सं० 201 की 0.9860 है०, ख०सं० 202 की 0.9610 है०, ख०सं० 204 की 0.5820 है०, ख०सं० 210 की 3.1870 है०, ख०सं० 310 की 1.9980 है० की कुल 13.3540 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा कृषिभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल अकेले की बजाय वादीया कनिका जरिए माता गगनबाला को 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल को 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 नरेन्द्र को 1/28 हिस्सा खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 114 के खसरा सं० 187 की 1.7700 है०, ख०सं० 188 की 1.5180 है०, ख०सं० 191 की 2.3520 है०, ख०सं० 201 की 0.9860 है०, ख०सं० 202 की 0.9610 है०, ख०सं० 204 की 0.5820 है०, ख०सं० 210 की 3.1870 है०, ख०सं० 310 की 1.9980 है० की कुल 13.3540 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा कृषिभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल अकेले की बजाय वादीया कनिका जरिए माता गगनबाला को 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल को 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 नरेन्द्र को 1/28 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ~~23.09.2024~~ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Dishi

(निधि उड़सरिया)R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया RAS

प्रकरण सं० : 133/2018
अनवान :

कनिका पुत्री नरेन्द्र कुमार उम्र 14 माह जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आबाद वार्ड सं० 8 सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला गंगानगर बजरिये नाबालिग वली कुदरती माता गगनबाला पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आबाद वार्ड सं० 8 सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला गंगानगर।

:- वादीया

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र चीमा उर्फ चीमनाराम जाति जाट निवासी मोठसरा हाल आबाद वार्ड सं० 23 रावतसर रोड़ सैठी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
2. नरेन्द्र पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मोठसरा हाल आबाद वार्ड सं० 23 रावतसर रोड़ सैठी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं० 114 के खसरा सं० 187 की 1.7700 है०, ख०सं० 188 की 1.5180 है०, ख०सं० 191 की 2.3520 है०, ख०सं० 201 की 0.9860 है०, ख०सं० 202 की 0.9610 है०, ख०सं० 204 की 0.5820 है०, ख०सं० 210 की 3.1870 है०, ख०सं० 310 की 1.9980 है० की कुल 13.3540 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा कृषिभूमि में प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल अकेले की बजाय वादीया कनिका जरिए माता गगनबाला को 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 धर्मपाल को 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 नरेन्द्र को 1/28 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Dihi

(निधि उड़सरिया) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़